निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ़ 1939 (श0)

(सं0 पटना 522) पटना, वृहस्पतिवार, 22 जून 2017

सं0 2/सी0– 1074/2009–सा0प्र0–**5371**

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

5 मई 2017

मो0 शमीम अख्तर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 575/11, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध उनके प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के पद पर पदस्थापन अवधि के दौरान इंदिरा आवास की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं जमा कर डेहटी पैक्स में जमा करने, इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के विपरीत कार्य करने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, इंदिरा आवास मद की राशि का दुरूपयोग, गबन तथा कदाचार का मार्ग प्रशस्त करने एवं इंदिरा आवास के लाभार्थियों के चयन में भारी अनियमितता बरतने आदि प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1524 दिनांक 12.09.2009 द्वारा निलंबित किया गया। साथ ही विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9523 दिनांक 23.09.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 3359 दिनांक 27.11.2009 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सभी तथ्यों तथा साक्ष्यों को विचारित नहीं किये जाने के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(1) के अन्तर्गत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पुनः विस्तृत जाँच हेतु संशोधित आरोप–पत्र गठित कर साक्ष्य के साथ संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए पुनः जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 12911 दिनांक 28.12.2010 द्वारा संचालन पदाधिकारी से आरोपों की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

3. सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 14911/2010 मो0 शमीम अख्तर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 14.09.2010 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1030 दिनांक 27.01.2011 द्वारा मो0 शमीम अख्तर को निलंबन से मुक्त किया गया। साथ ही मो0 अख्तर के निलंबन अवधि के विनियमन एवं वेतन के संबंध में उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवं फौजदारी मुकदमें के फलाफल के आलोक में निर्णय लिये जाने का आदेश संसूचित किया गया।

4. आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक 730 दिनांक 26.03.2011 द्वारा पुनः जाँच के उपरान्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जाँच प्रतिवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत आरोपित पदाधिकारी

के विरूद्ध *''सेवा से बर्खास्तगी एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं''* का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

6. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड पर मो0 अख्तर से अभ्यावेदन की मांग किये जाने पर उनके द्वारा समय सीमा के भीतर अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया।

7. विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग किये जाने पर आयोग द्वारा विनिश्चित दंड पर सहमति संसूचित की गयी।

8. बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त मो0 अख्तर की सेवा से बर्खास्तगी एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं का दंड दिये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति दी गयी।

9. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2765 दिनांक 21.02.2012 द्वारा मो0 शमीम अख्तर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 575/11 (810/08), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी एवं निलंबन अवधि में जीवन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं का दंड संसूचित किया गया।

10. सेवा से बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध मो0 शमीम अख्तर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 723/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2016 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"19. In the result, this writ application is allowed. The enquiry report, the findings of guilty recorded by the disciplinary authority, dated 26.3.2011 (Annexure-14) as well as consequential order of punishment dated 21.2.2012, as contained in memo No.2765 (Annexure-19) are accordingly quashed. The petitioner would be reinstated in service forthwith with all consequential benefits including entire back wages right from the date of dismissal."

11. सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 723/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2016 को पारित उपर्युक्त न्यायादेश के विरूद्ध सरकार द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 1653/2016 माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया। उक्त एल0पी0ए0 माननीय उच्च न्यायालय में सम्प्रति लंबित है।

12. इसी बीच सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 723/2013 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के आधार पर मो0 शमीम अख्तर द्वारा एम0जे0सी0 संख्या 2743/2016 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अवमाननावाद में दिनांक 15.03.2017 को पारित आदेश निम्नवत है :–

"At the request of the learned counsel for the State, time till 29.3.2017 is granted to ensure compliance of the order of this Court.

Put up this case on 29.3.2017 within top ten cases."

13. उपर्युक्त न्यायादेश दिनांक 15.03.2016 के अनुपालन हेतु अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सेवा से बर्खास्तगी एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं का दंड संसूचन संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2765 दिनांक 21.02.2012 को निरस्त करते हुए मो0 शमीम अख्तर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 575/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–13 के संगत प्रावधान के तहत सेवा में पुनःस्थापित किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि उक्त आदेश एल0पी0ए0 संख्या 1653/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के फलाफल से आच्छादित होगा।

14. मंत्रिपरिषद् द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

15. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार सेवा से बर्खास्तगी एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं का दंड संसूचन संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2765 दिनांक 21.02.2012 को निरस्त करते हुए मो0 शमीम अख्तर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 575/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–13 के संगत प्रावधान के तहत सेवा में पुनःस्थापित इस शर्त के साथ किया जाता है कि पुनःस्थापन आदेश एल0पी0ए0 संख्या 1653/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के फलाफल से आच्छादित होगा।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 522–571+10–**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in